[2021] 3 एस.सी.आर 881

रविंदर नाथ अग्रवाल

बनाम

योगेंद्र नाथ अग्रवाल और अन्य

(स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 970/2016)

12 फरवरी, 2021

[वी. रामासुब्रमण्यन, न्यायमूर्ति]

स्थानांतरण याचिका–विभाजन मुकदमे के बहुत बाद नियम संबंधी कार्यवाही शुरू की गई थी–दो स्थानांतरण याचिकाएं दायर की गईं दिल्ली से नैनीताल, उत्तराखंड में विभाजन मुकदमे का हस्तांतरण और उत्तराखंड से दिल्ली तक का वसीयतनामा मामला–अभिनिर्धारित: याचिकाकर्ता आश्वस्त था कि उसके लिए अपना अधिकार स्थापित करने के लिए कोई बाधा नहीं थी प्रशासन–इसलिए, एक वसीयतनामा दाखिल करने का उनका बाद का कार्य उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के समक्ष मामला और कुछ नहीं बल्कि एक चाल है कानून के सामान्य प्रस्ताव का लाभ उठाएँ जो जांच करता है कार्यवाही आरईएम में कार्यवाही है और इसकी प्रधानता होनी चाहिए–विभाजन मुकदमे को जिला न्यायालय, नैनीताल में स्थानांतरित करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है–दूसरी स्थानांतरण याचिका उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में लंबित वसीयती मामले को जिला न्यायालय साकेत, दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग करती है – चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित वसीयत में संपत्तियां शामिल हैं नैनीताल और दिल्ली दोनों में स्थित, इन दोनों न्यायालयों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है–लेकिन परंतुक (बी) से लेकर एस तक को देखते हुए धारा 273, के पत्र जिला न्यायालय द्वारा प्रदत्त प्रशासन में वैधता नहीं हो सकती है राज्य के बाहर स्थित संपत्ति का सम्मान, यदि उसका मूल्य उससे अधिक है। दिल्ली उच्च न्यायालय और विभाजन के मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया गया है जिला न्यायालय, साकेत, दिल्ली से दिल्ली उच्च न्यायालय–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925–धारा 57–191 , 217–369

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925:

धारा 57, 264 (2) – अभिनिर्धारित किया गयाः बार धारा 264 (2) का उन मामलों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है, जिनके लिए धारा 57 लागू होता है।

धारा 212 , 213 – की प्रयोज्यता–चर्चा की गई।

धारा 57 , 212 , 213 , 264 – अभिनिर्धारित किया गयाः एस के आधार पर। 213 (2) ((i) सपठित धारा 57 (ए), (बी), प्रोबेट या पत्रों की मांग करने की अनिवार्य आवश्यकता निष्पादक या उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार स्थापित करने के लिए प्रशासन वसीयत, केवल सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा बनाई गई

वसीयतों पर लागू होती है। कुछ उच्च न्यायालयों और उन क्षेत्रों के बाहर बनाए गए वसीयतों के लिए, जिस हद तक वे उन क्षेत्रों के भीतर स्थित अचल संपत्ति को कवर करते हैं।

स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित: 1.1 इस न्यायालय ने संदर्भित किसी भी निर्णय पर विचार नहीं किया या विचार करने का कोई अवसर नहीं दिया, उन मामलों के बीच के अंतर पर जहां एक पक्ष न्यायिक कार्यवाही में वसीयत पर भरोसा करने का हकदार है, भले ही प्रोबेट/पत्र प्राप्त किए बिना। प्रशासन और ऐसे मामले जहां पहले प्रोबेट/प्रशासन के पत्र प्राप्त किए बिना न्यायिक कार्यवाही में वसीयत पेश करने पर रोक है। प्रोबेट कार्यवाही को दी जाने वाली प्रधानता इस बात पर निर्भर करेगी कि मामला किस श्रेणी से संबंधित है। [पैरा 23] [893–जी–एच; 894–ए]

1.2 जिला न्यायाधीश को सभी मामलों में जांच और प्रशासन के पत्र देने और उन्हें रद्द करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की धारा 264 के तहत उनके जिले के भीतर मामले उत्तराधिकार अधिनियम, 1925। धारा 264 की उप–धारा (2) कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे शहरों की सीमाओं से परे किसी भी स्थानीय क्षेत्र में न्यायालयों पर प्रोबेट या प्रशासन के पत्र प्राप्त करने पर रोक लगाती है, जब तक कि राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं करती है, जहां भी मृतक हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख या जैन या एक छूट प्राप्त व्यक्ति है। लेकिन उप–धारा (2) के तहत प्रतिबंध उन मामलों पर लागू नहीं होता है, जिन पर धारा 57 लागू होती है। [पैरा 27,28] [894–ई, जी–एच; 895–ए]

1.3 भाग IX के अध्याय IV में जिला न्यायाधीश को प्रदत्त अधिकारिता का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा भी धारा 300 के तहत प्रदत्त समवर्ती अधिकारिता के आधार पर किया जा सकता है। धारा 264 की उप–धारा (2) के तहत प्रतिबंध धारा 300 की उप–धारा (2) में भी पाया जाता है। अधिनियम के भाग VIII में, जो शायद अधिनियम के कई भागों में सबसे छोटा है, धारा 212 और 214 में दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। जबकि धारा 212 निर्वसीयत की संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, धारा 214 वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयतदार के रूप में अधिकार की स्थापना से संबंधित है। इन दोनों नियमों को निम्नानुसार कहा जा सकता हैः

सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से प्रशासन के पत्र प्राप्त करने के लिए, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, जैन, भारतीय ईसाई या पारसी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर कोई अधिकार, जिसकी निर्वसीयत मृत्यु हो गई है, किसी भी न्यायालय में स्थापित नहीं किया जा सकता है; (ii) किसी वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयतदार के रूप में कोई अधिकार (एक मुसलमान या भारतीय ईसाई द्वारा बनाई गई वसीयत के अलावा) किसी भी न्यायालय में स्थापित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वसीयत या प्रशासन के पत्रों की जांच सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं दी गई हो। लेकिन दूसरा नियम जो धारा 212 में पाया जाता है, केवल लागू होता हैः (i) किसी भी हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा की गई वसीयतों के मामले में, यदि वे वसीयतें धारा 57 के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट वर्गों की हैं; और (ii) वसीयतों के मामले में किसी भी पारसी द्वारा की गई वसीयतों की मृत्यु के बाद मृत्यु हो रही है।

1962 के संशोधन अधिनियम 16 का प्रारंभ, यदि ऐसी वसीयतें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालयों के सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर की गई हैं और यदि ऐसी वसीयतें उन सीमाओं के बाहर की गई हैं, जहां तक वे उन सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति से संबंधित हैं। [पारस 31–34] [895–G; 896–C; 897–B–E]

1.4 धारा 57,213 और 264 के संचयी पठन से पता चलेगा किः ((i) निष्पादक या उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति

वसीयत के तहत न्याय न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही में वसीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसने वसीयत के साथ प्रोबेट (यदि कोई निष्पादक नियुक्त किया गया है) या प्रशासन के पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, यदि ऐसी वसीयत कुछ वर्गों के व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की गई है; और (ii) कि प्रोबेट या प्रशासन के पत्र देने का अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे शहरों के भीतर स्थित न्यायालयों और राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किसी भी स्थानीय क्षेत्र के न्यायालयों में निहित है। अतः निम्नलिखित बात इस प्रकार हैः (i) जब तक वसीयतकर्ता अधिनियम में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी भी वर्ग से संबंधित नहीं है; और (ii) जब तक वसीयत नहीं बनाई जाती है या वसीयत के दायरे में आने वाली कुछ संपत्तियां किसी अधिसूचित क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित नहीं हैं, तब तक वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयतदार के लिए प्रोबेट या प्रशासन के पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

देश के अन्य भाग जो धारा 212 द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। [पारस 35,36] [897–एफ–एच; 898–ए–बी]

बलबीर सिंह वासु बनाम लखबीर सिंह और अन्य (2005)

12 एस. सी. सी. 503–संदर्भित।

1.5 धारा 57 के खंड (ए) और (बी) के साथ पठित धारा 212 (2) (आई) के आधार पर, प्रोबेट लेने की अनिवार्य आवश्यकता या निष्पादक के रूप में अधिकार स्थापित करने के लिए प्रशासन के पत्र या वसीयत के तहत वसीयतदार, केवल स्थानीय सीमा के भीतर हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा बनाई गई वसीयतों पर लागू होता है। कुछ उच्च न्यायालयों और बनाए गए वसीयतों की मूल नागरिक अधिकारिता न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, नैनीताल, स्थायी आदेश के लिए निषेधाज्ञा, अपने पिता की उसी अंतिम वसीयत और नियम दिनांक 06.04.2011 के आधार पर, के पत्र मांगे बिना प्रशासन। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वसीयत के तहत वसीयतदार के रूप में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए धारा 212 (1) उनके लिए एक बाधा थी। प्रशासन के पत्र प्राप्त करना। ऐसा करने के बाद, 2016 के टी. पी. (सी) No.970 में याचिकाकर्ता ने वसीयत के तहत पहली बार दावा करने के 8 साल बाद और वह भी दिनांक 09.10.2018 के आदेश द्वारा विभाजन मुकदमे में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के बाद 2019 का नियम संबंधी मामला No.01 दायर करने का फैसला किया। इसलिए, 2016 की टी. पी. (सी) संख्या 970 में याचिकाकर्ता को इस न्यायालय को एक उचित परिपूरक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पारस 38,39] [898 – ई–जी]

2.2 विभाजन का मुकदमा, जो जिला न्यायालय, साकेत की फाइल पर लंबित है, 8 साल पुराना है, क्योंकि इसे सितंबर, 2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय की फाइल पर स्थापित किया गया था और 2016 में जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। उक्त रविंदर नाथ अग्रवाल v. में लिखित कथन। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जिला न्यायालय, साकेत, दिल्ली में लंबित है। चूँकि याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित वसीयत में शामिल है नैनीताल और दिल्ली दोनों में स्थित संपत्तियों, इन दोनों अदालतों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। लेकिन धारा 273 के प्रावधान (बी) को ध्यान में रखते हुए, जिला न्यायालय द्वारा दिए गए प्रशासन के पत्रों की वैधता राज्य के बाहर स्थित संपत्ति के संबंध में नहीं हो सकती है, यदि इसका मूल्य रुपये से अधिक है। 10,000 / – हालाँकि, इस समस्या का समाधान वसीयती मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देकर और विभाजन मुकदमे को जिला न्यायालय, साकेत से दिल्ली उच्च न्यायालय में वापस स्थानांतरित करने का आदेश देकर किया जा सकता है। विभाजन के मुकदमे को वसीयती कार्यवाही के साथ जोड़ा जाए और निपटान के लिए एक साथ लिया जाए। [पारस 48,49] [901–डी–जी]

ईश्वरदेव नारायण सिंह बनाम श्रीमती. कामता देवी और

अन्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 280 को लागू नहीं किया गया।

चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका बनाम जसजीत सिंह और अन्य (1993) 2 एससीसी 507: [1993] 2 एससीआर 454; टी. वेंकट [2021] 3 एस. सी. आर. नारायण और अन्य बनाम वेंकट सुब्बम्मा (श्रीमती) (मृत) और अन्य (1996) 4 एस. सी. सी. 457: [1996] 3 एस. सी. आर. 1042; श्रीमती रुक्मिणी देवी और अन्य बनाम नरेंद्र लाल गुप्ता (1985) 1 एससीसी 144; निर्मला देवी बनाम अरुण कुमार गुप्ता (2005) 12 एससीसी 505; श्रीमती. रुक्मिणी देवी और अन्य बनाम नरेंद्र लाल गुप्ता (1985) 1 एससीसी 144 – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ		
ए.आई.आर 1954 एससी 280	पैरा 15	अप्रयोज्य रखा गया
[1993] 2 एससीआर 454	पैरा 15	संदर्भित किया गया है
[1996] 3 एससीआर 1042	पैरा 15	संदर्भित किया गया है
(2005) 12 एस. सी. सी. 503	पैरा 15	संदर्भित किया गया है
(1985) 1 एससीसी 144	पैरा 15	संदर्भित किया गया है
(2005) 12 एससीसी 505	पैरा 22	संदर्भित किया गया है
(1985) 1 एससीसी 144	पैरा 42	संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय मूल अधिकारिता: स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं. 970/2016

मुकदमा सं. के हस्तांतरण के लिए याचिका सी. एस.–126/2016 जिला न्यायाधीश, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली।

के साथ

स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं.2779/2019

गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री नित्य रामकृष्णन, सुश्री रक्षंदा डेका, त्रिदीप पेस, सुश्री शिवम शर्मा, सुश्री अंजना चंद्रशेखर, संजीव अग्रवाल, मनीष कुमार, पीयूष कौशिक, सुश्री दिव्या रॉय, एच. एस. शर्मा, यतींद्र शर्मा, प्रशांत कुमार, मेसर्स। एपी एंड जे चैम्बर्स, गौतम नारायण, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

निर्णय

1. जबकि 2016 की स्थानांतरण याचिका (सी) No.970 हस्तांतरण के लिए है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली की फाइल पर लंबित विभाजन के लिए एक मुकदमे की, 2019 की स्थानांतरण याचिका (सी) No.2779 रविंदर नाथ अग्रवाल बनाम के लिए है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल की फाइल पर लंबित एक वसीयती मामले को नई दिल्ली के साकेत में जिला न्यायालय में स्थानांतरित करना।

2. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

3. एक श्री बद्रीनाथ अग्रवाल, जो आम तौर पर गाँव बिठोरिया नंबर 1, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड के निवासी थे। भाई, लिली नाथ ने भी सिविल जज, सीनियर डिवीजन, नैनीताल की फाइल पर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की मांग करते हुए 2011 के सूट No.57 में एक दीवानी मुकदमा दायर किया। एक जवाबी विस्फोट के रूप में, मेजर रविंदर नाथ, जो होने का दावा करते हैं वसीयत के तहत वसीयतदार और जिसने एक संपत्ति के संबंध में अपने पक्ष में उत्परिवर्तन किया, ने 2011 के सूट No.72 में दीवानी मुकदमा भी दायर किया।

4. यह दावा करते हुए कि उनके पिता स्वर्गीय बद्री नाथ ने अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा 06.04.2011 को निष्पादित किया था, उन्होंने अपनी पिछली वसीयत दिनांक 26.06.2005 को रद्द कर दिया और निरस्त कर दिया और अंतिम वसीयत दिनांक 06.04.2011 के तहत ग्राम बिठौरिया नंबर में कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा शामिल किया। 1, तहसील हलद्वानी, जिला नैनीताल की वसीयत उन्हें दी गई, ज्येष्ठ पुत्र मेजर रवीन्द्र नाथ अग्रवाल ने राजस्व अभिलेखों में अपने पक्ष में म्यूटेशन करा लिया, लेकिन वही फ़ाइल पर लिली नाथ द्वारा दायर रिट याचिका का विषय बन गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय. अपने सबसे बड़े भाई के पक्ष में किए गए उत्परिवर्तन को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर करने के अलावा, लिली नाथ ने सिविल जज, सीनियर डिवीजन, नैनीताल

की फाइल पर 2011 के सूट नंबर 57 में एक सिविल मुकदमा भी दायर किया और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। जवाबी कार्रवाई के रूप में, मेजर रविंदर नाथ, जो वसीयत के तहत वसीयतदार होने का दावा करते हैं और जिन्होंने एक संपत्ति के संबंध में अपने पक्ष में म्यूटेशन कराया था, ने भी सिविल जज की फाइल पर 2011 के सूट नंबर 72 में सिविल मुकदमा दायर किया। , सीनियर डिवीजन स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है।

5. इसके बाद अंतिम पुत्र श्री योगेंद्र नाथ ने श्री बद्री नाथ द्वारा छोड़ी गई सभी संपत्तियों के विभाजन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की फाइल पर 2012 के सी. एस. No.2745 में मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा सितंबर–2012 में दायर किया गया था। लेकिन वर्ष 2016 में, संभवतः लिखित बयान दाखिल करने के बाद, उक्त मुकदमे को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, साकेत अदालत, नई दिल्ली की फाइल में स्थानांतरित कर दिया गया और 2016 के सी. एस. No.126 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया।

6. इसके तुरंत बाद, मेजर रविंदर नाथ अग्रवाल ने इन स्थानांतरण याचिकाओं में से पहली 2016 की टी. पी. (सी) संख्या 970, [2021] 3 एस. सी. आर. दायर की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, साकेत, नई दिल्ली की फाइल पर लंबित विभाजन मुकदमे को नैनीताल, उत्तराखंड में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध। 08.07.2016 पर, इस न्यायालय ने स्थानांतरण याचिका में नोटिस का आदेश दिया और विभाजन सूट मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक भी लगा दी।

7. लेकिन इस न्यायालय के नोटिस का आदेश देने और रोक लगाने से कुछ दिन पहले, विभाजन मुकदमे में वादी अर्थात् श्री। योगेंद्र नाथ (अंतिम पुत्र) ने मुकदमा छोड़ दिया और इसलिए एकमात्र बेटी लिली नाथ ने आदेश XXII। नियम 1–ए के तहत एक आवेदन दायर करके खुद को वादी के रूप में स्थानांतरित कर लिया। मूल वादी योगेंद्र नाथ को इस रूप में स्थानांतरित किया गया था।

8. 09.10.2018 पर, इस न्यायालय ने 2016 के टी. पी. (सी) संख्या 970 में एक आदेश पारित किया, जिसमें विभाजन मुकदमे में आगे की कार्यवाही पर रोक को खाली कर दिया गया। पहले 08.07.2016 पर दिया गया था। इसके बाद सबसे बड़े बेटे मेजर रविंदर नाथ ने नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की फाइल पर 2019 के टेस्टामेंटरी केस No.01 में एक याचिका दायर की, जिसमें इसके तहत संलग्न 06.04.2011 की वसीयत के साथ प्रशासन के पत्र देने की मांग की गई। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 250 और 273 (बी) के साथ पठित धारा 276। उक्त वसीयतनामा मामले में समन प्राप्त होने पर, बेटी लिली नाथ ने 2019 की दूसरी स्थानांतरण याचिका टी. पी. (सी) No.2779 पेश की, जिसमें वसीयतनामा मामले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से जिला न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। दिल्ली जहाँ उसका विभाजन का मुकदमा अब लंबित है, ताकि दोनों पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सके।

9. इस प्रकार, मेरे पास दो स्थानांतरण याचिकाएँ हैं, एक वर्ष की। 2016 , सबसे बड़े बेटे द्वारा दायर विभाजन मुकदमे को जिला न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली से जिला न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड में स्थानांतरित करने की मांग की गई और वर्ष 2019 का दूसरा वादी द्वारा विभाजन

मुकदमे में दायर किया गया, जिसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय की फाइल पर लंबित वसीयतनामा मामले को साकेत में जिला अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई, ताकि उसके विभाजन मुकदमे के साथ मुकदमा चलाया जा सके। चूंकि सबसे बड़े बेटे मेजर रविंदर नाथ, पहली स्थानांतरण याचिका में याचिकाकर्ता हैं, इसलिए उन्हें इसके बाद "याचिकाकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा और सुश्री लिली नाथ को "प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

10. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यह रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए कि 2011 के सिविल मुकदमों में से सबसे पहले सी. एस. No.57 द्वारा दायर किया गया था। सिविल जज, सीनियर डिवीजन, नैनीताल को 27.11.2015 पर अभियोजन न चलाने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, मेजर रविंदर नाथ द्वारा दायर 2011 के सीएस No.72 में दूसरा मुकदमा, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की मांग की गई थी, अभी भी सिविल जज, सीनियर डिवीजन, नैनीताल की फाइल पर लंबित है। मैं इस दीवानी मुकदमे से चिंतित नहीं हूं, क्योंकि यह किसी स्थानांतरण याचिका का विषय नहीं है।

11. इन स्थानांतरण याचिकाओं में विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या विभाजन का मुकदमा फाइल पर लंबित है वर्ष 2016 से नई दिल्ली के साकेत में जिला न्यायालय (में स्थापित 2012) , जिला न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या क्या 2019 से उत्तराखंड उच्च न्यायालय की फाइल पर लंबित वसीयती मामले को जिला न्यायालय, साकेत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ताकि इसे पहले से ही लंबित विभाजन मुकदमे के साथ चलाया जा सके।

12. इससे पहले कि मैं विचार करूं, प्रतिद्वंद्वी विवादों, तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। वे इस प्रकार हैं:

(i) नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के पास सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र नहीं है, हालांकि इसके पास प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए एक वसीयती मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, जिला न्यायालय, साकेत में लंबित विभाजन मुकदमे को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल नैनीताल के जिला न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। जिला अदालत, नैनीताल के पास अपनी क्षेत्रीय सीमा के बाहर स्थित संपत्ति के संबंध में प्रोबेट/प्रशासन के पत्र देने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, यदि इसका मूल्य रुपये से अधिक है। 10,000 / - . इसके विपरीत, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ जिला न्यायालय, साकेत, दोनों के पास कुछ शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रोबेट/प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए एक आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

(ii) सबसे बड़े बेटे मेजर रविंदर नाथ द्वारा स्थापित अंतिम वसीयत और नियम में दो संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें से एक है - नई दिल्ली के साकेत में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रचारित एक एम. आई. जी. फ्लैट। दूसरी संपत्ति उत्तराखंड के नैनीताल जिले की तहसील हल्द्वानी के गांव बिठोरिया नंबर 1 में खाटा No.741 में स्थित एक भूमिधारी भूमि है, जिसमें एक आवासीय घर, सर्विस क्वार्टर और शेड हैं। इसलिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 264 (1) के आधार पर, जिला न्यायाधीश, साकेत को कम से कम दिल्ली में संपत्ति के संबंध में प्रशासन के

अनुदान पत्रों और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए एक याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

(iii) विभाजन का मुकदमा वर्ष 2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय की फाइल पर दायर किया गया था और इसे जिला न्यायालय, साकेत में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 2016। जिस समय सबसे बड़े बेटे मेजर रविंदर नाथ ने 2016 का टी. पी. (सी) No.970 पेश किया था, उस समय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। वास्तव में 2016 के टी. पी. (सी) No.970 में याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर करने का विकल्प चुना। 2016 के टी. पी. (सी) No.970 में दिए गए विभाजन मुकदमे पर रोक लगाने के बाद जनवरी 2019 में ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वसीयतनामा का मामला 09.10.2018 पर खाली कर दिया गया था। इसलिए यह याद रखना चाहिए कि 2016 के टी. पी. (सी) No.970 में याचिकाकर्ता ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसका वह लाभ उठा सकता था।

13. उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अब मैं उन आधारों को देखता हूं जिनके आधार पर विभाजन के मुकदमे को दिल्ली से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। नैनीताल की तलाश है। 2016 की स्थानांतरण याचिका टी. पी. (सी) No.970 में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया हैः कि वे 68 वर्ष के थे (उस समय), पीड़ित थे

(I) कई बीमारियाँ और हृदय देखभाल उपचार से गुजर रहे हैं प्रत्यारोपित गति निर्माता;

(ii) कि उन्हें दाहिने तरफ लकवा का दौरा पड़ा था शरीर और मस्तिष्क में रक्त का थक्का;

(iii) कि उत्तरदाता पहले से ही उत्परिवर्तन का विरोध कर रहे थे हल्द्वानी में मामला;

(iv) कि उत्तरदाताओं में से तीन रहने वाले विदेशी नागरिक हैं। भारत से बाहर;

(v) कि वाद की विषय वस्तु में सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक अचल संपत्ति शामिल है। नैनीताल में; और

(vi) कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के तहत अन्य न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक है।

14. स्थानांतरण याचिका में बताए गए आधारों के अलावा, श्री द्वारा भी यह तर्क दिया गया है। गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ वकील और एस. याचिकाकर्ता के वकील मनीष कुमार ने एक याचिका में कहा कि हस्तांतरण के लिए, न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अधीन पक्षकारों के स्थान और सुविधा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए; कि वसीयती मामले में, सी. पी. सी. की धारा 10 के तहत एक आवेदन रविंदर नाथ अग्रवाल v था। दाखिल किया गया, लेकिन उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 10 के तहत आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए, दूसरी स्थानांतरण याचिका दायर की गई; कि वसीयती कार्यवाही, रेम में कार्यवाही होने के कारण, अन्य कार्यवाही पर प्रधानता होगी और इसलिए, विभाजन का मुकदमा उत्तरदायी है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 273 के प्रावधान (बी) के आधार पर, साकेत में जिला न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी

प्रोबेट/प्रशासन पत्र का प्रभाव अन्य राज्यों में तब तक नहीं होगा, जब तक कि राज्य की सीमाओं से परे प्रभावित संपत्ति और संपत्ति का मूल्य Rs.10,000/– से अधिक न हो।

15. जबकि एस. गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने ईश्वरदेव नारायण सिंह बनाम इस मामले में इस न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया। कामता देवी और अन्य। 1; चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका बनाम जसजीत सिंह और अन्य 2; टी. वेंकट नारायण और अन्य बनाम वेंकट सुब्बम्मा (श्रीमती) (मृत) और अन्य 3; बलबीर सिंह वासु बनाम लखबीर सिंह और अन्य, श्री. मनीष कुमार विद्वान वकील ने श्रीमती पर भरोसा किया। रुक्मिणी देवी और अन्य बनाम नरेंद्र लाल गुप्ता '।

16. जवाब में, सुश्री नित्या रामकृष्णन और श्री. उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील एच. एस. शर्मा ने तर्क दिया कि दिल्ली में विभाजन के मुकदमे की स्थापना के सात साल बाद उत्तराखंड में जानबूझकर वसीयती कार्यवाही शुरू की गई थी और यह कि पहली स्थानांतरण याचिका में याचिकाकर्ता अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग का दोषी है।

17. जैसा कि प्रतिद्वंद्वी विवादों से देखा जा सकता है, उनमें से अधिकांश तथ्यात्मक आधार पर हैं। हालांकि, की ओर से एक तर्क आगे बढ़ा याचिकाकर्ता विशुद्ध रूप से कानूनी है और गहरी जांच का हकदार है। इसलिए, मैं पहले उस विवाद को उठाऊंगा।

18. याचिकाकर्ता के अनुसार, जो भाई–बहनों में सबसे बड़े हैं और जिन्होंने एक वसीयत स्थापित की है, एक वसीयतनामा मामले में कार्यवाही है आर. ई. एम. में कार्यवाही और यह कि, इसलिए, उनकी प्रधानता होगी और यह कि, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वसीयतनामा की कार्यवाही विभाजन वाद की स्थापना के बहुत बाद शुरू की गई थी, विभाजन वाद, न कि वसीयतनामा मामला, हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है। इनके समर्थन में दलीलों में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है। इनमें से पहला निर्णय ईश्वरदेव नारायण सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का है। इस निर्णय पर केवल इसके लिए भरोसा किया जाता है यह दिखाने का सीमित उद्देश्य कि प्रोबेट का न्यायालय केवल इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या अंतिम वसीयत और नियम के रूप में सामने रखा गया दस्तावेज़ विधिवत निष्पादित किया गया था और कानून के अनुसार सत्यापित किया गया था और क्या निष्पादन के समय, वसीयतकर्ता स्वस्थ और मन की स्थिति में था। हम इस मामले में प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के लिए कार्यवाही की प्रकृति के सवाल से चिंतित नहीं हैं। इसलिए, उक्त निर्णय प्रश्न पर निर्णय लेने में कोई सहायता नहीं करता है।

19. चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका (ऊपर) में, जो प्राथमिक प्रश्न उठा वह यह था कि क्या इस न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास, पक्षों की सहमति से, इस मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा। प्रोबेट के लिए कार्यवाही। नकारात्मक में प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि अकेले प्रोबेट न्यायालय को प्रोबेट या प्रशासन के पत्र देने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है और सहमति से भी, पक्षकार एक मध्यस्थ को वसीयत के प्रमाण या वैधता पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि यह निर्णय केवल वसीयती कार्यवाही से संबंधित एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता के सवाल पर है और किसी पक्ष के एक

अदालत से दूसरे अदालत में कार्यवाही के हस्तांतरण की मांग करने के अधिकार के बारे में नहीं है, जब दोनों अदालतों के अधिकार क्षेत्र होने का दावा किया जाता है।

20. टी. वेंकट नारायण (ऊपर) में, इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या एक मुकदमे में गौण साक्ष्य का नेतृत्व किया जा सकता है। निषेधाज्ञा, एक कथित वसीयत साबित करने के लिए। इस अदालत ने माना कि निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा वसीयत के परिवीक्षा के लिए मुकदमे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और यदि वसीयत को कानून के अनुसार साबित करना है, तो इसे अदालत में प्रोबेट कार्यवाही के माध्यम से होना चाहिए, जिसके अनुसार योग्यता और अधिकार क्षेत्र हो। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया। लेकिन यह फैसला किसी भी प्रस्ताव को निर्धारित नहीं करता है (और निर्धारित नहीं कर सकता था) कि सभी इच्छाओं को पूरे देश में सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। प्रोबेट/प्रशासन के पत्रों की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम बाद में देखेंगे।

21. बलबीर सिंह वासू (ऊपर) एकमात्र मामला है जहाँ यह न्यायालय इस सवाल से संबंधित था कि क्या प्रोबेट के लिए कार्यवाही घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा आगे बढ़ सकता है या नहीं। इस मामले में, वह पक्ष जिसने पहली बार रेविंदर नाथ अग्रवाल v. दायर किया था। सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए वाद में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के आधार पर, बाद में, उच्च न्यायालय में विरोधी पक्ष द्वारा शुरू की गई प्रोबेट कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रोक लगाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया कि घोषणा के लिए मुकदमे की लंबितता उच्च न्यायालय को प्रोबेट कार्यवाही का मनोरंजन करने से नहीं रोकेगी। सी. पी. सी. की धारा 10 के इर्द-गिर्द घूमने वाले प्रश्न का सीधे उत्तर दिए बिना, इस न्यायालय ने सुखबीर सिंह वासु मामले में निर्णय दियाः (i) कि अपीलार्थी के दीवानी मुकदमे पर कोई निर्णय प्रोबेट कार्यवाही को समाप्त नहीं करेगा; (ii) यह प्रश्न कि प्रोबेट दिया जाना चाहिए या नहीं, अभी भी उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, हालांकि दीवानी न्यायालय का निर्णय उन कार्यवाहियों में भी प्रासंगिक हो सकता है; और (iii) हालांकि एक निष्पादक के लिए प्रोबेट प्राप्त करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 212 की आवश्यकता,

प्रेसीडेंसी कस्बों (या अधिसूचित क्षेत्रों) के बाहर के सभी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, एक निष्पादक के लिए विवेक या सुविधा के मामले के रूप में प्रोबेट के लिए आवेदन करने के लिए कोई निषेध नहीं है, उन मामलों में भी जहां वे धारा 212 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

22. इस निर्णय के दो दिलचस्प पहलू हैं-बलबीर सिंह (ऊपर)। वे इस प्रकार हैंः (i) इस प्रश्न पर निर्णय लिए बिना कि क्या धारा 10 सी. पी. सी. के तहत कोई आवेदन झूठ होगा या नहीं, इस न्यायालय ने प्रोबेट कार्यवाही को उच्च न्यायालय से जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जो प्रोबेट कार्यवाही को स्वीकार करने के लिए सक्षम था और मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया। एक ही न्यायालय में घोषणा के लिए भी ताकि दोनों को एक साथ जोड़ा जा सके और सुना जा सके। दुर्भाग्य से, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान देना छोड़ दिया कि ऐसे मामलों में जहां कानून द्वारा किसी जांच की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं है, वसीयत पर किसी भी दीवानी कार्रवाई में भरोसा किया जा सकता है, भले ही इसकी जांच किए बिना भी। ((ii) इसके बाद एक और निर्णय लिया। निर्मला देवी बनाम अरुण कुमार गुप्ताओ में अदालत। यह एक ऐसा मामला था जिसमें वर्ष 1984 की

वसीयत के संबंध में 1997 में प्रोबेट कार्यवाही शुरू की गई थी। 1987 से एक दीवानी मुकदमा पहले से ही लंबित था, लेकिन इस न्यायालय ने केवल उप–न्यायाधीश की फाइल पर लंबित दीवानी मुकदमे को जिला न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां जांच की कार्यवाही लंबित थी, ताकि दोनों को एक साथ जोड़ा जा सके और निपटाया जा सके।

23. इस न्यायालय ने उपरोक्त किसी भी निर्णय में मामलों के बीच के अंतर पर विचार नहीं किया या विचार करने का अवसर नहीं दिया। जहाँ एक पक्ष न्यायिक कार्यवाही में वसीयत पर भरोसा करने का हकदार है, भले ही उसे प्रोबेट/प्रशासन के पत्र और ऐसे मामले प्राप्त न हों जहाँ पहले प्रोबेट/प्रशासन के पत्र प्राप्त किए बिना न्यायिक कार्यवाही में वसीयत पेश करने के लिए एक बाधा है। प्रोबेट कार्यवाही को दी जाने वाली प्रधानता इस बात पर निर्भर करेगी कि मामला किस श्रेणी से संबंधित है।

24. यह कहने के बाद, आइए अब हम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के कुछ प्रावधानों पर करीब से नज़र डालें।

25. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 को 11 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से कुछ भाग कई अध्यायों में उप–विभाजित हैं। अधिनियम का भाग V। 23 अध्यायों से युक्त, इसमें "नियम संबंधी उत्तराधिकार" से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 57 से 191 इस भाग में शामिल हैं।

26. अधिनियम के भाग IX में धारा 217 से 369 शामिल हैं, जिन्हें 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। भाग IX के अध्याय IV में " प्रोबेट और पत्रों को देने और रद्द करने में अभ्यास प्रशासन "। इस अध्याय में धारा 264 से लेकर धारा 303 तक पाई जाती हैं। वसीयत के साथ प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया धारा 276 में प्रदान की गई है।

27. जिला न्यायाधीश को अधिनियम की धारा 264 के तहत अपने जिले के भीतर सभी मामलों में जांच और प्रशासन के पत्र देने और रद्द करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है। धारा 264 इस प्रकार हैः

"264. अनुदान देने और निरस्त करने में जिला न्यायाधीश की अधिकारिता जांच, आदि। — (1) जिला न्यायाधीश के पास अधिकारिता होगी। प्रोबेट और पत्रों को देने और रद्द करने में अपने जिले के भीतर सभी मामलों में प्रशासन।

(2) धारा 57 लागू होने वाले मामलों को छोड़कर, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे शहरों की सीमाओं से परे किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी न्यायालय, जहां मृतक हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख या जैन है या छूट प्राप्त है।

व्यक्ति, प्रोबेट या पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त करता है प्रशासन जब तक राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, इसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया।

28. धारा 264 की उप–धारा (2) से यह देखा जा सकता है कि यह धारा की सीमाओं से परे किसी भी स्थानीय क्षेत्र में न्यायालयों पर प्रतिबंध लगाता है। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के शहरों को प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त करने से, जब तक कि राज्य सरकार, आधिकारिक

राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं करती है, जहां कहीं भी रवींद्र नाथ अग्रवाल बनाम। मृतक हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख या जैन या छूट प्राप्त व्यक्ति है। लेकिन उप–धारा (2) के तहत प्रतिबंध उन मामलों पर लागू नहीं होता है, जिन पर धारा 57 लागू होती है।

29. अधिनियम की धारा 57 इस प्रकार हैः

" 57. हिंदुओं आदि द्वारा बनाई गई वसीयतों के एक वर्ग के लिए भाग के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग–इस भाग के प्रावधान जो

30. अनुसूची III में निर्धारित हैं, प्रतिबंधों के अधीन होंगे।

और उसमें निर्दिष्ट संशोधन लागू होते हैं।

(क) सितंबर, 1870 के पहले दिन या उसके बाद किसी भी हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा बनाई गई सभी वसीयतों और संहिताओं के लिए, उन क्षेत्रों के भीतर जो उक्त तिथि के अधीन थे बंगाल का उपराज्यपाल या मद्रास और बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालयों के सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर; और

(ख) उन क्षेत्रों और सीमाओं के बाहर बनाए गए ऐसे सभी वसीयतों और संहिताओं के लिए जहां तक उन क्षेत्रों या सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति से संबंधित है; [और]

(ग) जनवरी, 1927 के पहले दिन या उसके बाद किसी भी हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा बनाई गई सभी वसीयतों और संहिताओं के लिए, जिन पर वे प्रावधान खंड (ए) और (बी) द्वारा लागू नहीं होते हैंः बशर्ते कि विवाह ऐसी किसी वसीयत को रद्द नहीं करेगा या कोडिसिल "।

धारा 57 के खंड (ए), (बी) और (सी) में वर्णित वसीयत।

31. भाग IX के अध्याय IV में जिला न्यायाधीश को प्रदत्त अधिकारिता का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा भी धारा 300 के तहत प्रदत्त समवर्ती अधिकारिता के आधार पर किया जा सकता है। धारा 300 इस प्रकार हैः

" 300. उच्च न्यायालय की समवर्ती अधिकारिता।

(1) जिला न्यायाधीश को एतद्द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय का जिला न्यायाधीश के साथ समवर्ती अधिकार क्षेत्र होगा।

(2) धारा 57 लागू होने वाले मामलों को छोड़कर, कोई उच्च न्यायालय, इसके द्वारा प्रदत्त समवर्ती अधिकारिता का प्रयोग नहीं करता है। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे शहरों की सीमाओं से परे किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, जहां मृतक हिंदू है, मुसलमान, बौद्ध, सिख या जैन या छूट प्राप्त व्यक्ति, प्रोबेट या पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त करता है प्रशासन जब तक राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, इसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया। धारा 264 की उप–धारा (2) के तहत प्रतिबंध धारा 300 की उप–धारा (2) में भी पाया जाता है।

32. अधिनियम का भाग VIII जो संभवतः सबसे छोटा है अधिनियम के सभी भागों में, धारा और 214 में दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। वे इस प्रकार पढ़ते हैंः

" 212. निर्वसीयत की संपत्ति का अधिकार। – (1) किसी भी हिस्से पर कोई अधिकार नहीं

निर्वसीयत मृत्यु प्राप्त व्यक्ति की संपत्ति का हो सकता है किसी भी न्यायालय में स्थापित, जब तक कि प्रशासन को पहले सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है अधिकार क्षेत्र।

(2) यह धारा निर्वसीयता के मामले में लागू नहीं होगी एक हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, जैन, [भारतीय] ईसाई या पारसी]।

213. स्थापित होने पर निष्पादक या उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार। — (1) किसी भी न्यायालय में निष्पादक या वसीयतदार के रूप में कोई अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि [भारत] में सक्षम अधिकार क्षेत्र का कोई न्यायालय न हो। उस वसीयत का प्रोबेट प्रदान किया है जिसके तहत अधिकार है

दावा किया गया है, या वसीयत के साथ या वसीयत की एक प्रमाणित प्रति की प्रति के साथ प्रशासन के पत्र दिए हैं।

(2) यह धारा वसीयतों के मामले में लागू नहीं होगी। आवेदन करें

(I) किसी भी हिंदू, बौद्ध, सिख द्वारा बनाई गई वसीयतों के मामले में या जैन जहाँ ऐसी वसीयतें निर्दिष्ट वर्गों की हों। धारा 57 के खंड (ए) और (बी) में; और मरने वाले किसी भी पारसी द्वारा की गई वसीयतों के मामले में,

(ii) भारतीय उत्तराधिकार की शुरुआत (संशोधन) अधिनियम, 1962 (1962 का 16), जहां ऐसी वसीयतें [सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र] की स्थानीय सीमाओं के भीतर की जाती हैं। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालयों की और जहां ऐसी वसीयतें उन सीमाओं के बाहर की गई हैं, जहां तक वे स्थित अचल संपत्ति से संबंधित हैं।

33. जबकि धारा 212 निर्वसीयत की संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, धारा 233 एक वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयतदार के रूप में अधिकार की स्थापना से संबंधित है। सरल शब्दों में इन दो नियमों को निम्नानुसार कहा जा सकता हैः (i) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से पहले प्रशासन के पत्र प्राप्त किए बिना, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, जैन, भारतीय ईसाई या पारसी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर कोई अधिकार, जिसकी निर्वसीयत मृत्यु हो गई है, किसी भी न्यायालय में स्थापित नहीं किया जा सकता है; (ii) किसी वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयतदार के रूप में कोई अधिकार (एक मुसलमान या भारतीय ईसाई द्वारा बनाई गई वसीयत के अलावा) किसी भी न्यायालय में स्थापित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वसीयत या विल के साथ प्रशासन के पत्रों की जांच सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं दी गई हो।

34. लेकिन ऊपर बताया गया दूसरा नियम जो धारा में पाया जाता है

213 , केवल लागू होता हैः (i) किसी भी हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा बनाई गई वसीयतों के मामले में, यदि वे वसीयतें खंड (ए) में निर्दिष्ट वर्गों की हैं।

और (ख) धारा 57 की; और (ii) 1962 के संशोधन अधिनियम 16 के प्रारंभ के बाद मरने वाले किसी भी पारसी द्वारा की गई वसीयतों के मामले में, यदि ऐसी वसीयतें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालयों की सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर की गई हैं और यदि ऐसी वसीयतें उन सीमाओं के बाहर की गई हैं, जहां तक कि वे उन सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति से संबंधित हैं।

35. धारा 57,213 और 264 के संचयी पठन से पता चलेगा किः (i) कि वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयतदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति न्याय न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही में वसीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसने वसीयत के साथ प्रोबेट (यदि कोई निष्पादक नियुक्त किया गया है) या प्रशासन के पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, यदि ऐसी वसीयत कुछ वर्गों के व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की गई है; और (ii) कि प्रोबेट या प्रशासन के पत्र देने का अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे शहरों के भीतर स्थित न्यायालयों और राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किसी भी स्थानीय क्षेत्र के न्यायालयों में निहित है।

36. अतः निम्नलिखित बात इस प्रकार हैः (i) जब तक वसीयतकर्ता अधिनियम में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी भी वर्ग से संबंधित न हो; और (ii) जब तक कि [2021] 3 एस.सी.आर. वसीयत की जाती है या वसीयत के दायरे में आने वाली कुछ संपत्तियां अधिसूचित क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित होती हैं, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयतकर्ता प्रोबेट या पत्रों की मांग करने के लिए प्रशासन। वास्तव में, बलबीर सिंह वासु (उपरोक्त) में निर्णय ने धारा 264 (2) के तहत प्रतिबंध पर ध्यान नहीं दिया, जब उसने फैसले के पैराग्राफ 5 में सामान्य शब्दों में यह राय दी कि "हम धारा 214 को निष्पादक को विवेक या सुविधा के मामले के रूप में जांच के लिए आवेदन करने के लिए प्रतिबंधित करने के रूप में नहीं पढ़ते हैं।

37. धारा 57 के खंड (ए) और (बी) के साथ पठित धारा 233 (2) (आई) के आधार पर, प्रोबेट या पत्रों की मांग करने की अनिवार्य आवश्यकता एक के तहत निष्पादक या उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार स्थापित करने के लिए प्रशासन वसीयत, केवल सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा बनाई गई वसीयतों पर लागू होती है। कुछ उच्च न्यायालयों और उन क्षेत्रों के बाहर बनाए गए वसीयतों के लिए, जिस हद तक वे उन क्षेत्रों के भीतर स्थित अचल संपत्ति को कवर करते हैं। इसलिए, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई निषेध नहीं है जिसका मामला इन प्रावधानों के दायरे से बाहर है, विभाजन या अन्य राहतों के लिए अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों सहित अन्य लोगों द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में वसीयत के तहत अधिकार पेश करने, उस पर भरोसा करने और दावा करने से।

38. मामले में याचिकाकर्ता रविंदर नाथ ने स्वयं (i) पहले राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन करने के लिए और (ii) फिर सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, नैनीताल की फाइल पर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए 2011 के O.S.No.72 में मुकदमा दायर करने के लिए,प्रशासन के पत्रों की मांग किए बिना, उनके पिता की उसी अंतिम वसीयत और नियम दिनांक 06.04.2011 का आधार। उन्होंने

यह नहीं सोचा था कि प्रशासन के पत्र प्राप्त किए बिना वसीयत के तहत वसीयतदार के रूप में अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए धारा 212 (1) उनके लिए एक बाधा थी।

39. ऐसा करने के बाद, 2016 के टी. पी. (सी) No.970 में याचिकाकर्ता ने पहले 8 वर्षों के बाद 2019 का टेस्टामेंटरी केस No.01 दायर करने का फैसला किया। वसीयत के तहत दावा करना और वह भी दिनांक 09.10.2018 के आदेश द्वारा विभाजन मुकदमे में आगे की कार्यवाही पर रोक के अवकाश के बाद। इसलिए, मैं 2016 की टी. पी. (सी) संख्या 970 में याचिकाकर्ता को इस न्यायालय को एक उचित परिपूरक बनाने की अनुमति नहीं दे सकता।

40. विभाजन का मुकदमा, जो जिला न्यायालय, साकेत की फाइल पर लंबित है, वास्तव में 8 साल पुराना है, क्योंकि इसे सितंबर, 2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय की फाइल पर स्थापित किया गया था और इसे जिला रेविंदर नाथ अग्रवाल बनाम को स्थानांतरित कर दिया गया था। नवंबर, 2012 में जब एक वसीयत थी, उन्होंने सीमा के अनुच्छेद 137 की अनदेखी करते हुए केवल जनवरी 2019 में वसीयती कार्यवाही दायर करने का फैसला किया। अधिनियम, 1963 और इस न्यायालय के कुछ निर्णय। मैं उन विवरणों में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इससे उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

41. दरअसल, 2016 के टी.पी. (सी) नंबर 970 में याचिकाकर्ता इसका सहारा लेकर खुद की मदद भी नहीं कर रहा है। नवंबर, 2012 में यह दावा करने के बाद कि एक वसीयत है, उन्होंने लिमिटेशन एक्ट, 1963 के अनुच्छेद 137 और इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को नजरअंदाज करते हुए केवल जनवरी 2019 में वसीयत की कार्यवाही दायर करने का विकल्प चुना। मैं उन विवरणों में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इससे उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

42. श्रीमती में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। रुक्मिणी देवी और अन्य बनाम नरेंद्र लाल गुप्ता ', यह श्री द्वारा तर्क दिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील मनीष कुमार ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 273 के प्रावधान (बी) के आधार पर, जिला न्यायालय, साकेत द्वारा दिए गए प्रशासन के किसी भी पत्र का प्रभाव अन्य राज्यों में तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अनुदान से प्रभावित और राज्य की सीमा से परे स्थित संपत्ति का मूल्य रुपये से अधिक न हो। 10,000 / – .

43. लेकिन यह तर्क सुविधाजनक है। याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में वसीयती कार्यवाही दायर करने से कुछ भी नहीं रोक सका दिल्ली सरकार ने धारा 273 के प्रावधान (ए) का लाभ उठाते हुए जिला न्यायालय, साकेत से विभाजन के मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक साथ मुकदमा चलाने की मांग की। धारा 273 इस प्रकार हैः

" 273. प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों का निष्कर्ष। परिवीक्षाधीन या प्रशासन के पत्र पूरे राज्य में मृतक की सभी चल या अचल संपत्ति पर प्रभावी होंगे, जिसमें वह दी गई है या दी गई है, और मृतक के सभी देनदारों और संपत्ति रखने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिनिधि स्वामित्व के बारे में निर्णायक होंगे, जो उनके हैं, और सभी देनदारों को पूरी क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे, अपने ऋणों का भुगतान करेंगे और उन सभी व्यक्तियों को जो ऐसी संपत्ति को उस व्यक्ति को सौंपेंगे जिसे ऐसे प्रोबेट या पत्र दिए गए हैं। प्रशासन की मंजूरी दी गई हैः बशर्ते कि प्रोबेट और प्रशासन के पत्र दिए गए हों

(क) उच्च न्यायालय द्वारा, या

(ख) जिला न्यायाधीश द्वारा, जहाँ मृतक की मृत्यु के समय ऐसे न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर निवास का एक निश्चित स्थान था, और ऐसा न्यायाधीश प्रमाणित करता है कि संपत्ति और संपत्ति का मूल्य राज्य की सीमाओं से परे प्रभावित हुआ है। दस हजार रुपये से अधिक नहीं है, जब तक अनुदान द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, तब तक अन्य राज्यों में भी इसी तरह का प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए, याचिकाकर्ता, 2012 से 2016 तक विभाजन मुकदमे के लंबित होने का लाभ उठाते हुए, वसीयतनामा दायर कर सकता था।

स्वयं दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यवाही करते हुए और अब धारा 273 के प्रावधान (ख) पर भरोसा करने के बजाय, धारा 273 के प्रावधान (क) पर भरोसा किया।

44. कानूनी विवाद से निपटने के बाद, अब मैं उस तथ्यात्मक आधार पर आगे बढ़ता हूं जिसके आधार पर विभाजन मुकदमे का हस्तांतरण किया जाता है। यह है याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दावा किया कि याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। प्रमाणक भी दिल्ली के निवासी नहीं हैं। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि कम से कम पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

45. लेकिन आभासी सुनवाई के इन दिनों में, पक्षों का स्थान शायद ही चिंता का विषय है। वास्तव में, आई.ए संख्या 130939 में एक अनुप्रयोग याचिकाकर्ता द्वारा 2020 का प्रस्ताव दायर किया गया है, जिसमें या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त के माध्यम से सत्यापनकर्ताओं में से एक की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है, क्योंकि वह 74 वर्ष का है, जिसे बहुत सारी चिकित्सा समस्याएं हैं और उसने कोविड–19 के लिए भी सकारात्मक परीक्षण किया है।

46. तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के अनुसार भी प्रमाणक की जांच वीडियो कॉन्फ्रेंस या नियुक्त अदालत के माध्यम से की जा सकती है

48. जहाँ तक दूसरी स्थानांतरण याचिका का संबंध है, उसमें मांगी गई राहत उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लंबित वसीयती मामले को जिला न्यायालय, साकेत, दिल्ली में स्थानांतरित करने के लिए है। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित वसीयत में नैनीताल और दिल्ली दोनों में स्थित संपत्तियां शामिल हैं, इसलिए इन दोनों अदालतों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। लेकिन धारा 273 के प्रावधान (बी) को ध्यान में रखते हुए, जिला न्यायालय द्वारा दिए गए प्रशासन के पत्रों की संपत्ति के संबंध में वैधता नहीं हो सकती है। यदि इसका मूल्य रुपये से अधिक है तो बताएँ। 10,000 / – . हालाँकि, इस समस्या का समाधान वसीयतनामा मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देकर और विभाजन मुकदमे को जिला न्यायालय, साकेत से दिल्ली उच्च न्यायालय में वापस स्थानांतरित करने का आदेश देकर किया जा सकता है।

49. इसलिए, स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा किया जाता है निम्नलिखित प्रभावः

(i) 2016 का टी. पी. (सी) No.970 खारिज कर दिया गया है;

(ii) 2019 के टी. पी. (सी) No.2779 की अनुमति है और नियम उत्तराखंड उच्च न्यायालय की फाइल पर लंबित 2019 के मामले No.01 को फाइल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है दिल्ली का उच्च न्यायालय;

(iii) दिल्ली में अतिरिक्त जिला न्यायालय, साकेत की फाइल पर लंबित 2016 के सी. एस. संख्या 126 में विभाजन का मुकदमा दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और वसीयती कार्यवाही के साथ जोड़ा जाएगा और निपटान के लिए एक साथ लिया जाएगा। यह देखते हुए कि विभाजन का मुकदमा लगभग 8 साल पुराना है, दिल्ली उच्च न्यायालय [2021] 3 एस. सी. आर. देने पर विचार कर सकता है। सूचीकरण की प्राथमिकता। पक्षकारों को वसीयत के प्रमाणकों सहित गवाहों की जांच के लिए या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्तों के माध्यम से आवेदन करने की स्वतंत्रता है और इस तरह की राहत के लिए आवेदनों पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुकूल रूप से विचार किया जा सकता है।

पक्षकार अपना–अपना खर्च वहन करेंगे।

स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा किया गया

1 1 एयर 1954 एससी 280

2 (1993) 2 एस. सी. सी. 507

3 3 (1996) 4 एस. सी. सी. 457

4 (2005) 12 एस. सी. सी. 503

5 (1985) 1 एससीसी 144 [2021] 3 एस. सी. आर.